रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1987/वैसाख 16, 1909
No. 96] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1987/VAISAKHA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 175 आई टी सी (पी एन)/85–88

नई दिल्ली, 6 मई, 1987

विषय :–अप्रैल, 1985 – मार्च 1988 के लिए आयात–निर्यात नीति।

फाइल सं. 9/220/86–ई पी सेल :–वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1–आई टी सी (पी एन)/85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985 – मार्च 1988 के लिए यथा संशोधित आयात–निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात–निर्यात नीति 1985–88 (खंड–1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	71	अध्याय 14 उपपैरा–221 (3)	उपपैरे 221(3) का अंतिम वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "आवेदन पत्र आयात एवं निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 के परिशिष्ट –14-ठ में दिए गए तरीके और प्रपत्र में निर्यात आयुक्त को भेजे जाने चाहिएं ।"

ह./–

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात

मंजुला सुब्रह्मणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात – निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 175 - ITC(PN)/85–88

New Delhi, the 6th May, 1987

Subject :—Import and Export Policy for April 1985—March, 1988

F.No. 9/220/86-EPC :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1985-March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Important & Export Policy, 1985-88 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	71	Chapter XIV Sub-Para 221(3)	The last sentence of sub-para 221(3) shall be amended as under :— "Applications to the Export Commissioner should be sent in the form and manner as given in Appendix XIV-L of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88.

Sd/-

R.L. MISRA Chief Controller of Imports & Exports

MANJULA SUBRAMANIAM, Jt. Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987